| दिनाक 17.01.2021 |
|---|
| प्रेस विज्ञप्ति–17/21 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद आजमगढ़/थाना तरवां**

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 05 खोखा कारतूस,**
- **लूट के 03 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 16.01.2021 को थाना तरवां व थाना सरायमीर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौरसिया कबुतरा रोड़ पर पुरस्कार घोषित अपराधी कृष्णानन्द उर्फ मिन्टू की घेराबन्दी की गई तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान अभियुक्त कृष्णानन्द घायल हो गया, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित, 05 खोखा कारतूस, लूट के 03 हजार रूपये नगद, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्त थाना कादीपुर जनपद सुल्तनापर पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 474/2020 धारा 392/411/120बी भादवि व मु0अ0सं0 546/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना तरवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–कृष्णानन्द उर्फ मिन्टू निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

**<u>बरामदगी–</u>**

1– 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

2– लूट के 03 हजार रूपये नगद।

3– 01 मोटरसाइकिल।

## <u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 06 लाख 15 हजार रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.01.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेट्रो डिपो के आगे जुनपत चौराहे पर बदमाशो की घेराबन्दी की गई तो पुलिस कार्यवाही के दौरान दो बदमाश 1–ब्रजेश, 2–शन्नी, घायल हो गये, जिन्हे अन्य तीन बदमाशो 3–सुनील, 4–बिजेन्द्र, 5–विकाश कुमार सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 06 लाख 15 हजार रूपये नगद, 04 अवैंध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.01.2021 को थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोलपम्प कर्मियो से व दिनांक 29.12.2020 को एक व्यापारी से अज्ञात बदमाशो द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तो से बरमद रूपये उक्त घटनाओ से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रहा हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1– ब्रजेश निवासी संकोला थाना गोलावटी जनपद बुलन्दशहर।

2– शन्नी उर्फ चन्द्रकान्त निवासी ठाकुरान थाना ददरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

3– सुनील निवासी समाना थाना धौलाना जनपजद हापुड़।

4– बिजेन्द्र उर्फ बिन्दर निवासी नवादा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

5– विकाश कुमार निवासी भेंसोडा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1– लूट के 06 लाख 15 हजार रूपये नगद।

2– 04 अवैंध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3– घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

## जनपद हाथरस/ थाना सिकन्द्राराऊ

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 05 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद**

दिनांक 17.01.2021 को थाना सिकन्द्राराऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी सगीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 05 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हाथरस , जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी , हत्या का प्रयास , गैंगेस्टर

एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है, तथा गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 659/2019 धारा 232/224 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रहा हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1— सगीर निवासी धुबई थाना हसायन जनपद हाथरस।

**बरामदगी**

1— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

2— 01 मोटर साइकिल।

**जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात**

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17.01.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गदनपुर नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कासगंज, जनपद एटा के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2020 धारा 398/401 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1— महेन्द्र निवासी तुलसी नहर, नई आबादी गोबर चौकी आगरा।

**<u>बरामदगी</u>**

1— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

## <u>जनपद सीतापुर/थाना रामपुरकलां</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 17.01.2021 को थाना रामपुरकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरैया नहर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी प्रताप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुरकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2020 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुरकलां द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1— प्रताप निवासी केशरीपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर।

## <u>जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद</u>

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **01 अवैध तमंचा 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 12 बोर**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 17.01.2021 को थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहीमाबाद पुल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी 1. मनोज सहित तीन शातिर अपराधी 2. गोलू उर्फ गुलशन, 3. अनूप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में अभियुक्त मनोज के विरूद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त गोलू उर्फ गुलशन के विरूद्ध हत्या का प्रयास, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त अनूप के विरूद्ध हत्या का प्रसाद, आर्म्स एक्ट आदि के 02 अभियोग पंजीकृत हैं, अभियुक्त मनोज थाना खैराबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रहा हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1— मनोज निवासी चिलवारा थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

2— गोलू उर्फ गुलशन निवासी महेशपुर चिलवारा थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

3— अनूप निवासी गुफ्फापुरवा थाना मिश्रित जनपद सीतापुर।

**बरामदगी**

1— 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस 315 बोर।

2— 01 अवैध तमंचा 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

3— 01 चार पहिया वाहन।

## कमिश्नरेट लखनऊ/थाना काकोरी

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन, आदि बरामद**

दिनांक 17.01.2021 को थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीतापुर बाईपास पर ठाकूरगंज की ओर जाने वाले रास्ते पर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1. रोहित, 2. मोहित कुमार, 3. अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो पर चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना काकोरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—रोहित निवासी बस स्टैण्ड के पास कोतवाली बलरामपुर, हालपता ज्वाला मन्दिर के पास थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

2— मोहित कुमार निवासी देवरिया थाना पारू जनपद मुजफ्परपुर बिहार, हालपता ज्वाला मन्दिर के पास थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

3— अमित कुमार निवासी बरिगवां थाना कृष्णा नगर लखनऊ।

**बरामदगी**

1— चोरी की 08 दो पहिया वाहन आदि।

## जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये किमत के चोरी के 40 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.01.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवकाली ओवरब्रिज के पास से तीन शातिर अभियुक्तों 1. महबुब आलम उर्फ मुन्ना, 2. धर्मेन्द्र, 3. अतुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये किमत के चोरी के 40 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के, व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—महबूब आलम उर्फ मुन्ना निवासी बेनीगंज चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

2— धर्मेन्द्र निवासी अश्वनीपुरम कालोनी देवकाली थाना कोतवाली नगर अयोध्या।

3— अतुल निवासी नेवादा कला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

**बरामदगी**

1— लगभग 03 लाख 15 हजार रूपये किमत के चोरी के 40 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी।

2— चोरी की 01 मोटर साइकिल।

**एसटीएफः—विभिन्न शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रमों (कोर्स) में छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम फर्जी तरीके से धोखाधडी कर एवं अवैध रूप से पैसा अपने खाते में मंगाने वाला एक अभियुक्त एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।**

दिनांक 16—01—2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को इन्टरनेट से विभिन्न शिक्षण संस्थानों का टेलीफोन नम्बर प्राप्त कर उन्हें एन0आई0सी0 व अन्य सम्बंधित विभाग का अधिकारी बनकर अपने विभिन्न मोबाइल नम्बरों से फोन कर छात्रवृत्ति न पाये हुये छात्रों का डाटा विवरण प्राप्त कर उन छात्रों को फोनकर छात्रवृत्ति दिलाने का लालच देकर विभिन्न माध्यमो से अपने बताये हुये खातों में रूपये डलवाकर उस धन को गोरखपुर में एस0बी0आई0 व पी0एन0बी0 आदि के विभिन्न ए0टी0एम0 से निकाल कर और उन पैसों का उपभोग करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**अभियुक्त का विवरणः—**

बलिराम सिंह पुत्र विन्धयाचल सिंह निवासी—गौरडीह, थाना हरपुटबुदहट जनपद गोरखपुर हा0मु0 अधियारीबाग रामलील मैदान के सामने, थाना गोरखनाथ जनपद—गोरखपुर

**बरामदगी—**

1— 01 अदद लेपटाप(लेनेवो काला रंग)
2— 06 अदद मोबाइल
3— नगद 430/— रूपया
4— 04 अदद सिम कार्ड (विभिन्न कम्पनी)
5— 11 अदद ए0टी0एम0 कार्ड (ATM, DEBIT,GREEN,PAYTM CARD)
6— 01 अदद आधार कार्ड

7— 02 अदद पेन कार्ड
8— 01 अदद मतदाता पहचान पत्र
9— 05 अदद पासबुक (एस0बी0आई0 बैंक)

**गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—**

जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्रान्तर्गत अधियारीबाग रामलील मैदान के सामने दिनांक—16.01.2021 समय 23.50 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रमों (कोर्स) में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती थी उनका डाटा विवरण सम्बंधित विभाग एवं शिक्षण संस्थायों से आन लाइन व फर्जी तरीके से प्राप्त कर एनआईसी व अन्य सम्बंधित विभाग के अधिकरी बनकर सम्बंधित छात्रों को फोन कर उनको छात्रवृत्ति का लालच देकर छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर उनसे पैसा अपने खातों में जमा करता है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस उपधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के निर्देशन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा एस0टी0एफ0 की विशेषताओं का प्रयोग करते हुये अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो इन्टरनेट से विभिन्न शिक्षण संस्थानों का टेलीफोन नम्बर प्राप्त कर उन्हें एन0आई0सी0 व अन्य सम्बंधित विभाग का अधिकारी बनकर अपने विभिन्न मोबाइल नम्बरों से फोन कर छात्रवृत्ति न पाये हुये छात्रों का डाटा विवरण प्राप्त कर उन छात्रों को फोनकर छात्रवृत्ति दिलाने का लालच देकर विभिन्न माध्यमो ंसे अपने बताये हुये खातों में रूपये डलवाकर उस धन को गोरखपुर में एस0बी0आई0 व पी0एन0बी0 आदि के विभिन्न ए0टी0एम0 से निकाल लेता है और उन पैसों का उपभोग करता है। अभिसूचना संकलन के इसी क्रम में दिनांक 16.01.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड ईकाई गोरखपुर कार्यालय आकर मुखबिर खास द्वारा आकर बताया कि छात्रवृत्ति को दिलाने के नाम पर फ्राड करने वाला बलिराम सिंह अभी अपने अधियारी बाग रामलीला मैदान के पास वाले मकान मर मौजूद है और कहीं जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 एस0एन सिंह, हे0कान्स0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कान्स0 महेन्द्र प्रताप सिंह, कान्स0 विनय कुमार सिंह की एक टीम गठित कर मुखबीर के साथ उसके बताये गये स्थान पर पहुँच कर समय लगभग 23.50 बजे उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त बलिराम सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह यह काम लगभग दो वर्षो से कर रहा है। वह कई शिक्षण संस्थानों से इण्टरनेट के जरिये अधिकृत नम्बर प्राप्त कर फिर उन नम्बरों पर एनआईसी व अन्य सम्बंधित विभाग का अधिकारी बनकर छात्रवृत्ति न पाये हुये छात्रों का विवरण पूछ लेता है फिर उन छात्रों को अपने नम्बर से फोन कर छात्रवृत्ति दिलाने का लालच देकर पिछले कुछ महिनों से सरिता मौर्या के एस0बी0आई0 का खाता नम्बर 36025723016 जो गाजीपुर के दुल्लहापुर का है तथा पी0एन0बी0 के खाता नम्बर 50474571835जो आजमगढ़ जिले के पते पर सरिता मौर्या पत्नी कमलेश मौर्या निवासी—बेलाकोट पोस्ट—शेरपुर नसरूद्दीन आजमगढ़ के नाम से है वह पैसा मंगाता था। मैने सरिता मौर्या से खाता खोलवाकर उसके दोनो खातो का ए0टी0एम0 अपने पास रखता हूॅ और उसका प्रयोग स्वयं ही करता हूॅ। इलाहाबाद बैक व एसबीआई0 के एटीएम उन्ही खातो का है। बरामद सिम के बारे में पूछने पर बताया कि जिस सिम पर एनआइसी लिखा है उस सिम को अपने मोबाइल में लगाकर बात करता था तो अपने आप को एनआईसी का अधिकारी बताकर बात करता था इस नम्बर को ट्रू कालर पर एनआईसी फीड

किया हूँ। जिससे फोन रिसिव करने वाला मुझे एनआईसी का अधिकारी समझे। जिस सिम पर आईबी लिखा है उसको ट्रू कालर पर आईबी फीड कर रखा हूँ जिससे इस सिम से मैं आई0बी0 अफसर बनकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों को फोनकर धमकाकर ब्लैकमेल कर कि तुम फीस अधिक ले रहे हो, उनसे अवैध तरिके से वसूली करता था। मार्कर से सिम पर लिखा पीवाई के बारे में पूछने पर बताया कि यह पूजा यादव का ट्रू कालर पर नाम फीड किया है, जिससे पता चले कि इस नम्बर से मैं किस—किस को फोन करता हूँ। एक सिम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ट्रू कालर पर फीड किया था, उस सिम से शिक्षा विभाग का अधिकारी बनकर बात करता था। ट्रू कालर पर विभिन्न विभाग के अधिकारी का नाम फीड करने के बारे में पूछने पर बताया कि इससे जिससे भी मैं बात करता था वह मुझे उस विभाग का अधिकरी समझता था। जिससे मैं उन्हे आसानी से ठग लेता था। हैण्ड बैग से बरामद पासबुक व एटीएम के बारे में पूछने पर बताया कि धोखधडी से प्राप्त पैसों को एटीएम से निकालकर इन्ही खातो में कभी—कभी डाल देता था। मुझे याद नहीं कि कब कितना पैसा किस खाते में डलवाया हूँ बरामद मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया कि कुछ का प्रयोग मैं पहले धोखधडी में प्रयोग करता था और कुछ का प्रयोग अपने बातचीत में करता था। बरामद वीवो के मोबाइल के अवलोकन से कई छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना—पत्र का विवरण वाट्सप चैट व स्क्रिीन शाट पर मिला। मोबाइल के विस्तृत विश्लेषण हेतु अलग से विवेचक द्वारा एफ0एस0एल0 भेजा जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 —22/2021 धारा 406/419/420/467/468/471/384 भा0द0वि0 व 66 सी आईटी ऐक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर पंजीकृत कराया गया। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय थाना द्वारा की जा रही है।

————————